2014/00106
2014/00105
2014/00107
2014/00108

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 24 / 2014 (उदयपुर डिक्री)

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर(राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. देवा पिता हेमा जी भील, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. चतरू पिता हेमा जी भील, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. काना पिता माना जी भील, निवासी पावर हाउस के सामने, ईंट भट्टों के पास, रोशन कॉलोनी, सेक्टर नंबर 12, सवीना, उदयपुर (राज.)
4. रामलाल पिता पीथा जी मीणा, निवासी 27, मयूर कॉलोनी, धोली मगरी, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर(राज.)
5. श्रीमती कृष्णा पत्नी रामलाल जी मीणा, निवासी 27, मयूर कॉलोनी, धोली मगरी, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (राज.)
6. कालु पिता धुला जी पलात, निवासी खानमीन, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर हाल निवासी रोशन कॉलोनी, कचरूलाल जी चौधरी के मकान के सामने, सेक्टर नंबर 12, सवीना, उदयपुर(राज.)
7. अनिल कुमार रोता पिता दयाचन्द जी रोत, निवासी सासरपुरा, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती बिन्दुमति पत्नी अम्बालाल जी अहारी, निवासी गड़ावत, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. भैरूलाल पिता लक्ष्मण जी, निवासी बिलख, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री बी. एल. चौधारी अभिभाषक रे. सं. 1 व 2

3– श्री देवीलाल जाट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 6

4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

(2) प्रकरण संख्या 26/2014 (उदयपुर डिक्री)

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर(राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. देवा पिता हेमा जी भील, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. चतरू पिता हेमा जी भील, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. काना पिता माना जी भील, निवासी पावर हाउस के सामने, ईंट भट्टों के पास, रोशन कॉलोनी, सेक्टर नंबर 12, सवीना, उदयपुर (राज.)
4. रामलाल पिता पीथा जी मीणा, निवासी 27, मयूर कॉलोनी, धोली मगरी, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर(राज.)
5. श्रीमती कृष्णा पत्नी रामलाल जी मीणा, निवासी 27, मयूर कॉलोनी, धोली मगरी, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (राज.)
6. कालु पिता धुला जी पलात, निवासी खानमीन, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर हाल निवासी रोशन कॉलोनी, कचरूलाल जी चौधरी के मकान के सामने, सेक्टर नंबर 12, सवीना, उदयपुर(राज.)
7. अनिल कुमार रोता पिता दयाचन्द जी रोत, निवासी सासरपुरा, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती बिन्दुमति पत्नी अम्बालाल जी अहारी, निवासी गड़ावत, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. भैरूलाल पिता लक्ष्मण जी, निवासी बिलख, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री बी. एल. चौधारी अभिभाषक रे. सं. 1 व 2
3– श्री देवीलाल जाट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 6
4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

(3) प्रकरण संख्या 49/2014 (उदयपुर डिक्री)

शंकरलाल पिता काला जी मीणा, निवासी नाल हल्कार, निचला फलां, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

1. देवा पिता हेमा जी भील, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. चतरू पिता हेमा जी भील, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. काना पिता माना जी भील, निवासी पावर हाउस के सामने, ईंट भट्टों के पास, रोशन कॉलोनी, सेक्टर नंबर 12, सवीना, उदयपुर (राज.)
4. रामलाल पिता पीथा जी मीणा, निवासी 27, मयूर कॉलोनी, धोली मगरी, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर(राज.)
5. श्रीमती कृष्णा पत्नी रामलाल जी मीणा, निवासी 27, मयूर कॉलोनी, धोली मगरी, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (राज.)
6. कालु पिता धुला जी पलात, निवासी खानमीन, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर हाल निवासी रोशन कॉलोनी, कचरूलाल जी चौधरी के मकान के सामने, सेक्टर नंबर 12, सवीना, उदयपुर(राज.)
7. अनिल कुमार रोता पिता दयाचन्द जी रोत, निवासी सासरपुरा, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती बिन्दुमति पत्नी अम्बालाल जी अहारी, निवासी गड़ावत, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
10. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री बी. एल. चौधारी अभिभाषक रे. सं. 1 व 2

3– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक न.वि.प्र.

4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

(4) प्रकरण संख्या 50/2014 (उदयपुर डिक्री)

शंकरलाल पिता काला जी मीणा, निवासी नाल हल्कार, निचला फलां, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

1. देवा पिता हेमा जी भील, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. चतरू पिता हेमा जी भील, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. काना पिता माना जी भील, निवासी पावर हाउस के सामने, ईंट भट्टों के पास, रोशन कॉलोनी, सेक्टर नंबर 12, सवीना, उदयपुर (राज.)
4. रामलाल पिता पीथा जी मीणा, निवासी 27, मयूर कॉलोनी, धोली मगरी, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर(राज.)
5. श्रीमती कृष्णा पत्नी रामलाल जी मीणा, निवासी 27, मयूर कॉलोनी, धोली मगरी, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (राज.)
6. कालु पिता धुला जी पलात, निवासी खानमीन, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर हाल निवासी रोशन कॉलोनी, कचरूलाल जी चौधरी के मकान के सामने, सेक्टर नंबर 12, सवीना, उदयपुर(राज.)
7. अनिल कुमार रोता पिता दयाचन्द जी रोत, निवासी सासरपुरा, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती बिन्दुमति पत्नी अम्बालाल जी अहारी, निवासी गड़ावत, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
10. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री बी. एल. चौधारी अभिभाषक रे. सं. 1 व 2

3– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक न.वि.प्र.

4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी गिर्वा प्रकरण संख्या 56/2007 दिनांक
क्रमशः 20.01.14 28.05.09 28.05.09 व 20.01.14

———::———

निर्णय **दिनांक 21–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अन्य सहखातेदार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सवीना में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमियां वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार किता 13 रकबा 1.3750 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमियों के साबिक आराजी नंबर 527/1 एवं 527/2 हैं। साबिक आराजी नंबर 527/2 का 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 ने दिनांक 04–05–1987 को क्रय किया है। इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 527/1 का 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 ने दिनांक 04–05–1987 को क्रय किया है। गिर्वा तहसील का सेटलमेन्ट होने के बाद उक्त साबिक आराजी नंबर के हाल आराजी नंबर कायम हुए, जिसमें वादीगण के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 20–02–1988 स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ, परन्तु सहवन से नामान्तरकरण में वादी संख्या 1 का 78/138 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 60/138 हिस्सा दर्ज हो गया है, जबकि विक्रय अनुसार वादी संख्या 1 का 39/138 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 30/138 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त खातेदारी में चली आ रही हैं तथा पक्षकारान अपनी सहूलियत अनुसार काबिज हैं, परन्तु विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। उक्त भूमियों का बंटवाड़ा नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अनाधिकृत निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। अतएवं भूमियों का विधिवत विभाजन किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से वादीगण के घोषणात्मक वाद बाबत् किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की

गयी तथा विभाजन बाबत् किस प्रकार भूमियों पर खातेदार काबिज हैं, इसका जवाब दिया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 नगर विकास प्रन्यास द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–02–2009 को खारिज कर दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर दिनांक 24–10–2007 को निम्नानुसार तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीगण वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वाद पत्र के पैरा संख्या 4 अनुसार हिस्सा दुरस्ती कराने का अधिकारी है तथा इसी अनुसार अन्य प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य बंटवाड़ा एवं निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ..... वादीगण
2. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 28–05–2009 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर हिस्से अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा रिपोर्ट तबल किये जाने का आदेश दिया।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–09–2009 को विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05–11–2009 अुनसार पी.डी. रिपोर्ट पर दोनों पक्षों की सहमति व्यक्त की गयी।

नगर विकास प्रन्यास के अधिवक्ता ने पी.डी. पर आपत्ति प्रस्तुत की तथा निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा जो बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसमें नगर विकास प्रन्यास द्वारा सड़क हेतु अवाप्त भूमि को बंटवाड़े शामिल कर लिया गया है तथा कलम संख्या 3 में आराजी नंबर व दिये गये रकबे में मौके पर 100 फिट सड़क निर्माण करा लिये जाने का कथन किया है। तहसीलदार को अवाप्त शुदा भूमि को कम कर मौके पर बंटवाड़ा करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अतएवं पुनः बंटवाड़ा रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–11–2009 को नियत तिथि पर नगर विकास प्रन्यास की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार गिर्वा को पुनः पी.डी. की पालना हेतु लिखा गया, जिसके क्रम में दिनांक 03–01–2014 को तहसीलदार गिर्वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद एवं तहसीलदार की रिपोर्ट पर मनन करने के बाद प्राप्त बंटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार दिनांक 20–01–2014 को प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 56/2007 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28–05–2009 के विरूद्ध नगर विकास प्रन्यास द्वारा अपील संख्या 26/2014 तथा अपीलान्ट शंकरलाल द्वारा अपील संख्या 49/2014 प्रस्तुत की गयी तथा इसी प्रकार अंतिम डिक्री दिनांक 20–01–2014 के विरूद्ध नगर विकास प्रन्यास द्वारा अपील संख्या 24/2014 तथा अपील शंकरलाल द्वारा अपील संख्या 50/2014 प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 56/2007 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध पेश शुदा चारों अपीलों की विषय वस्तु एवं अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण के विरूद्ध होने से चारों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर संलग्न रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28–05–2009 के विरूद्ध नगर विकास प्रन्यास द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 26/2014 दिनांक 26–05–2014 को पेश की गयी है। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के प्रभारी अधिकारी प्रशासनिक कार्य तथा चुनाव संबंधी कार्यो में व्यस्त होने से अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 05–03–2014 को अपने वकील से संपर्क करने पर हुई। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा प्रकरण में दिनांक 05–11–2009 को

प्रारम्भिक डिक्री पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, तद्नुसार अपीलान्ट नगर विकास प्रन्यास का यह कथन कि उन्हें दिनांक 05–03–2014 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई, निहायत असत्य एवं झूठा कथन है। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील संख्या 26/2014 पोषणीय नहीं है। वैसे भी नगर विकास प्रन्यास की आपत्ति सिर्फ विभाजन प्रस्ताव में अपनी अवाप्त शुदा भूमि के संरक्षण से संबंधित है, जिसमें प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध की गयी अपील के गुणावगुण पर प्रारम्भिक डिक्री को चुनौती दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतएवं नगर विकास प्रन्यास द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 26/2014 बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

प्रकरण में जहां तक अपीलान्ट शंकरलाल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 49/2014 का प्रश्न है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 7 भैरूलाल भील द्वारा उसका हक हिस्सा दिनांक 18–06–2012 से अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है, तब से अपीलान्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विक्रेता भैरूलाल के हक अधिकार अपीलान्ट के समाहित हो गये हैं। अतएवं उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

→ प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद वर्ष 2007 में प्रस्तुत हुआ है तथा अपीलान्ट स्वयं यह कहकर आता है कि वाद के लम्बित रहने के दौरान उसके द्वारा विवादित आराजियात पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 18–06–2012 को क्रय की गयी है। दौराने वाद यदि किसी क्रेता द्वारा कोई हक हिस्सा खरीदा जाता है तो वह मूल खातेदार विक्रेता से अधिक नहीं होगा। इस प्रकरण में प्रतिवादी भैरूलाल द्वारा अपने प्रकरण में विधिक पैरवी की गयी है तथा अपील स्तर पर लीज पेन्डेन्सी क्रेता को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दिये जाने का कोई आधार नहीं है। वैसे भी अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी हो जाने के बाद उक्त भूमि क्रय की गयी है। तद्नुसार हम अपीलान्ट को प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते हैं। अतएवं अपीलान्ट का दफा 96 जा. दी. का आवेदन खारिज हो जाने से प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 49/2014 खारिज की जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

प्रकरण में जहां तक नगर विकास प्रन्यास द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 20–01–2014 के विरूद्ध अपील संख्या 24/2014 प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–05–2014 को प्रस्तुत की गयी है तथा अपील के साथ दफा 5 का आवेदन व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

→ प्रकरण में हुए अत्यल्प विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए सकारण खण्डन रहित शपथ पत्र के आधार पर मयाद कंडोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री बी.एल. चौधरी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4, 7, 8, 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि विवादित आराजियात प्रकरण संख्या 295/2002 द्वारा अवार्ड दिनांक 01–08–2005 के जरिये सार्वजनिक हित में 100 फिट सड़क हेतु अवाप्त की चुकी है, जिस पर वर्तमान में रोड़ बनी हुई है। उपरोक्त अवाप्त शुदा रकबे को बंटवाड़े में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अवाप्त शुदा रकबे को बंटवाड़े में सम्मिलित कर लिया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में इस बाबत् आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। उक्त आपत्ति पर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नगर विकास प्रन्यास की आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेश शुदा भूमि के अवार्ड जारी होने व भूमि अवाप्त किये जाने बाबत् किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है तथा मौके पर भूमि की क्या स्थिति है एवं मौके पर किसी अन्य विभाग का कब्जा तो नहीं है, इस पर भी किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना सरसरी निर्णय पारित कर दिया है एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के तथ्यों पर अनविक्षा किये बिना निर्णय पारित कया है, जिससे वादकरण का अंतिम निस्तारण नहीं हो सका है। तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, जबकि आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 690 अनुसार तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील संख्या 24/2014 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20–01–2014 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब कर मौके पर कब्जे की स्थिति क्या है एवं मौके पर रोड़ में किस खातेदार की कितनी भूमि गयी है तथा मौके पर किसी अन्य विभाग का कब्जा तो नहीं है, इन तथ्यों की विवेचन कर तथा उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय पारित करें।

प्रकरण में जहां तक अपील संख्या 50/2014 का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा चाही गयी राहत अपील संख्या 24/2014 से उसे प्राप्त हो जाती है तथा इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के अन्य उजरात पर कोई सारभूत तथ्य नहीं हैं। तद्नुसार अपील संख्या 50/2014 में निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है एवं अपील संख्या 24/2014 में पारित निर्णय अनुसार अपील संख्या 50/2014 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत उक्त चारों अपीलों में से अपील संख्या 26/2014 बेरून मयाद होने एवं 49/2014 धारा 96 का आवेदन खारिज होन जाने से उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं तथा अपील संख्या

24/2014 स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा अपील संख्या 24/2014 अनुसार ही अपील संख्या 50/2014 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

पक्षकारान डिक्री की प्राप्त विभाजन प्रस्ताव हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–05–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये बनाम **देवा पिता हेमा भील, निवासी सासेरा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर** **तह.रेलगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**26 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**28**.....माह.....**05**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**03**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री बी.एल. चौघरी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28–05–2009 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**03**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

शंकरलाल पिता कालाजी मीणा, नि0 नाल हल्कार, निचला फलां, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर बनाम **नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये नगर विकास प्रन्यास उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**49 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....28**.....माह.....**05**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**03**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री बी.एल. चौघरी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट दफा 96 का आवेदन खारिज हो जाने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28–05–2009 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**03**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **कन्हैयालाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**212/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजमल राव** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री खेमराज डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।